PRESS MONITOR

Dainik Jagran, New Delhi
Thursday, 2nd September 2021; Page: 8
Width: 11.07 cms; Height: 15.70 cms; a4; ID: 31.2021-09-02.70

# पापड़ का आकार कैसा भी हो, नहीं लगेगा जीएसटी

## स्पष्टीकरण

- उद्योगपति हर्ष गोयनका के ट्वीट पर सीबीआइसी ने दी सफाई
- कहा - नाम और आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता

नई दिल्ली, प्रेट्र : गोल पापड़ जीएसटी से मुक्त और चौकोर या किसी और आकार के पापड़ पर जीएसटी, ऐसा अब नहीं होगा। देश के अग्रणी उद्योगपति हर्ष गोयनका की एक दुविधा का जवाब देते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने स्पष्ट किया है कि जीएसटी अधिसूचना के एंट्री नंबर-96 के माध्यम से पापड़ जीएसटी से मुक्त है। पापड़ के आकार के आधार पर किसी तरह का कोई भेद नहीं किया गया है। इससे जुड़ी अधिसूचना सीबीआइसी.जीओवी.इन पर उपलब्ध है।

सीबीआइसी को यह सफाई तब देनी पड़ी जब देश के प्रमुख उद्योगपति और आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने पापड़ पर टैक्स को लेकर ट्विटर पर एक सवाल किया। उन्होंने लिखा, 'क्या आपको पता है कि गोल पापड़ जीएसटी से मुक्त, लेकिन चौकोर पापड़ पर यह टैक्स लगेगा। क्या कोई मुझे किसी ऐसे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम सुझा सकता है, जो इसका तर्क मुझे समझा सके?' इसके जवाब में सीबीआइसी ने लिखा कि पापड़ चाहे किसी भी नाम से जाना जाए या उसका कोई भी आकार हो, वह जीएसटी से मुक्त है।

हाल ही में अथारिटी फार एडवांस रूलिंग एएआर की गुजरात बेंच ने भी कहा था कि पहले पापड़ हाथ से बनते थे, इसलिए उन्हें गोल आकार देना आसान होता था। अब तकनीक की प्रगति के साथ, पुराने पारंपरिक गोल पापड़ के साथ-साथ विभिन्न आकारों और साइज के पापड़ उपलब्ध हैं।